

कार्यालय पुलिस आयुक्त, गुडगाँव।

पोलिसी अस्थाई आदेश न. 3/2015

विषय:-

परिवादों की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का तरीका।

आम जन की शिकायतों पर नियमित कानूनी व पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों को प्राप्त होने वाली जाँच रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान परिवादी के विवरण, प्रतिवदी का विवरण, आरोपो के विवरण, जाँच के दौरान की गई कार्यवाही एवम जाँच के निष्कर्ष का अवलोकन आवश्यक है। वर्तमान में प्राप्त हो रही जाँच रिपोर्ट से उपरोक्त विषयो बारे जाँच रिपोर्ट में उचित विवरण भली भांती न होने के कारण प्रभावी समीक्षा में लोप की सम्भावना रहती है। परिवादो की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यह सरकुलर आदेश तैयार किया गया है। भविष्य में सभी परिवादों की जाँच रिपोर्ट संलग्न प्रफोर्मानुसार तैयार की जाकर समीक्षा हेतु उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। आप सभी अपने अधीनिस्त को आदेश से अवगत कराकर निरन्तर पालना सुनिश्चित कराएं।

Mandef
(नवदीप सिंह विक)
पुलिस आयुक्त,
गुडगाँव। *11/4/15*
cp.ggn@hry.nic.in
0124-2311200

क्रमांक 5270-75/प्रवाचक दिनांक 11-2-15

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

1. संयुक्त पुलिस आयुक्त, गुडगाँव।
2. सभी पुलिस उपायुक्त, गुडगाँव।
3. सभी सहायक पुलिस आयुक्त, गुडगाँव।
4. सभी प्रबन्धक थाना/पुलिस चौकी, गुडगाँव।
5. सभी प्रभारी अपराध शाखा, महिला सैल एवम आर्थिक अपराध शाखा, गुडगाँव।
6. परिवाद कलर्क कार्यालय पुलिस आयुक्त, गुडगाँव।

परिवादो की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रफोर्मा:-

1. परिवाद नम्बर एवम दिनाँक.....
2. परिवादी का नाम, पता एवम सम्पर्क नम्बर.....
.....
3. प्रतिवादी का नाम, पता एवम सम्पर्क नम्बर.....
.....
4. आरोप का सार.....
.....
5. जाँच कार्यवाही (जाँच के दौरान लिखे गये कथनो व लिये गये रिकार्ड का विवरण सहित).....
.....
6. जाँच का सारांश/निष्कर्ष.....
.....

जाँच अधिकारी
नाम पते व सम्पर्क नम्बर
दिनाँक

7. फीडबैक अधिकारी की रिपोर्ट.....
.....

Handup
11/2/15